

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष

13/05/2022

पचावली येरा इन्डिया वकील उच्चपदासु धरि
 नही आये हे। पचावली कडे कर्तो से साक्ष्य
 प्रतिवाही में विचारधान हे, अनेकानेक अकार
 दिये जा चुके हे। वकील उच्चपदासु को व्यासलय
 में तीन-तीन बार आवेर्षे लवाने पर ही
 लाजिर नही हे। साक्ष्य हेतु अणत उपायधेत
 नही हे। अतः पचावली अंतवति 983 जा. की
 के तहत स्वार्थेन किया जाना व्याख्यित हे।
 अतः वादा सामोख्य वाकत विचार्यते। अतः
 घोषणा व असायी विवेचाना का अंतवति आदेश
 9 नियम 3 जा. की के तहत अदालत
 लाजिकी व अदालत में एक बारा आदेश
 किया जाता हे। पचावली कंसल सुमार
 होकर नंबर से क्रम ही जाकर दाखिल
 दफतर हो। निम्न स्वर-इजलास मेरे
 पुनासा जाकर मेरे हजेराकर व व्यासलय
 मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
 साँभर लेक

